

अर्ज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

रत्नलाल बनाम श्री अर्पाक (मौग)

पत्रावली

प्रा.पत्र

11-12-2

नं

49

सन 2021

हुकम का कार्यावाही मध्य इन्डियनल्स जज

अदालत के अदालत के हुकम का कार्यावाही

4-3-21

वाद / प्रार्थनापत्र वाद जॉइंट प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिपक्षीयता को समान नोटिस जारी किया जाये। पत्रावली दिनांक 30.4.21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जज माण्डल

30/4/21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकग द्वारा न्यायिक कार्य स्थान/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 30.4.21 को पेश हो।

18/5/21

उभय पक्ष को न्यायिक कार्य स्थान/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29.5.21 को पेश हो।

रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29/5/21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकग द्वारा न्यायिक कार्य स्थान/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 29.5.21 को पेश हो।

18/11/21

पत्रावली प्रशासन गांवी के घेग अभियान 2021 के म्य मांडल में पेश हुई अप्रार्थकग के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुकम एवं पत्रावली हल्कापटवारी मांडल द्वारा रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा.पत्र किया गया। पत्रावली का मार्फत पत्रावली कर दिया जाकर रिपोर्ट उपखण्ड अदालत में पेश किया गया। पत्रावली फसल सुमार लेकर मम्बर ही कम हो।

डॉ. पूजा अर्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गांवी के संग अभियान 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 49/21 प्रा.पत्र

1- रतन लाल S/O बंशीलाल लुहार निवासी - गाण्डल तहसील - गाण्डल - प्रार्थी

बनाम

1- श्री श्रीराम S/O श्री भौलाबक्ष शर्मा निवासी - मेजा रोड - गाण्डल तहसील - गाण्डल - विपक्षीगण (वर्ग B)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 10.11.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... गाण्डल पटवार हल्का..... गाण्डल तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... मुस्ताफिर पिक्ले एस्टेट कुल किता 11 रकबा..... 1.8842 हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 24.3.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... गाण्डल पटवार हल्का..... गाण्डल तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... मुस्ताफिर पिक्ले एस्टेट कुल किता 11 रकबा..... 1.8842 हेक्टेयर..... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... गाण्डल को 750 -/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा
प्रशासन मौकों के संग अधिवेशन 2021